राजस्थान सरकार
वित्त (आबकारी) विभाग

क्रमांक प.4(4)वित्त/आब/2013 जयपुर, दिनांकः 04 दिसम्बर, 2017

आदेश

भारत निर्वाचन आयोग ने गुजरात राज्य के विधानसभा आम चुनाव, 2017 हेतु गुजरात राज्य के राजस्थान राज्य से लगते हुए क्षेत्रों में दिनांक 14.12.2017 को मतदान करवाये जाने का निर्णय लिया है।

अतः लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 135–ग के प्रावधानानुसार गुजरात राज्य के बनासकांठा, साबरकांठा, अरवली, महिसागर एवं दाहोद आदि की सीमा से लगती हुई राजस्थान राज्य के जिले क्रमशः बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर की सीमा के तीन किलोमीटर परिधीय क्षेत्र में मतदान समाप्ति पर पूर्ण होने वाली 48 घंटों की अवधि अर्थात **दिनांक 12.12.2017 को सायं 5.00 बजे से दिनांक 14.12.2017 को मतदान समाप्ति तक, पुर्नमतदान की स्थिति में पुर्नमतदान के दिन एवं मतगणना दिनांक 18.12.2017 को** मतगणना समाप्ति तक **सूखा दिवस** घोषित किया जाता है।

आज्ञा से,

(शंकर लाल कुमावत)
संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी, निर्वाचन विभाग, राजस्थान, जयपुर को अशा.टीप क्रमांक प.8(2)(19) निर्वा./2008/6722 दिनांक 04.12.2017 के संदर्भ में।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, वित्त विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
5. आयुक्त, आबकारी विभाग, राजस्थान, उदयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि कृपया संबंधित अधिकारियों को निर्देश प्रदान करें कि मदिरा की बिक्री, व्यक्तियों द्वारा संग्रहण तथा वितरण से संबंधित मद्य निषेध नियमों व आदेशों/निर्देशों की सख्ती से पालना करें।
6. निदेशक सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, जयपुर।
7. अतिरिक्त निदेशक, (कम्प्यूटर सैल) वित्त विभाग।
8. जिला कलेक्टर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर।
9. अतिरिक्त आबकारी आयुक्त, जोधपुर एवं उदयपुर।
10. जिला आबकारी अधिकारी, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा, डूंगरपुर एवं उदयपुर।
11. रक्षित पत्रावली।

संयुक्त शासन सचिव

Rajesh Issrani, 2016/Dry Day